UPEW010015912026

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –**

UP01632

Bail Application 490/2026

बच्चू सिंह बाल्मीकि उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र स्व0 मुन्नीलाल निवासी ग्राम विप्रावली थाना पिनाहट जिला आगरा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

–प्रति–

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....विपक्षी।

अपराध संख्या–09/2026

धारा 303(2),317(2), 307,3(5)

भारतीय न्याय संहिता 2023

थाना–इकदिल, जिला–इटावा।

17.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त बच्चू सिंह बाल्मीकि की ओर से मु०अ०सं०–09/2026 धारा 303(2),317(2),307,3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना–इकदिल, जिला–इटावा में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादी मुकदमा ओवैस अहमद द्वारा थाना प्रभारी इकदिल

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.03.17 16:52:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को दी गयी तहरीर इस प्रकार है कि उसकी ग्वालियर बाइपास अपना ढाबा के सामने A.T.R. GROUP के नाम से टायर्स की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में बिजली संचालन हेतु बिजली की 160KVA का ट्रान्सफारमर फैक्ट्री के सामने रखा रहता है। दिनांक 17/18.01.2026 को रात्रि में अज्ञात चोरो ने ट्रान्सफारमर को ठीया से नीचे गिरा दिया जिससे उसमे भरा हुआ कीमती तेल फैल गया तथा ट्रान्सफारमर के अन्दर लगे अन्य कीमती पार्टस की चोरी कर ले गये तथा ट्रान्सफारमर का खोखा मौके पर पड़ा है।

3. अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त केस में गलत तथ्यों के आधार पर फसाया गया है। वह निर्दोश है। उसने कोई चोरी नहीं की है, और न ही उससे बरामदगी हुई है। वह अपनी रिस्तेदारी में इकदिल आया था, जहाँ पर एक चाय की दुकान पर पुलिस वालों से बहस हो जाने के कारण पुलिस उसको थाना ले गयी, एवं उक्त मुकदमें में झूठा फंसा दिया है। उसका उक्त घटना में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया है, और न ही रुपये के अलावा कोई वस्तु बरामद हुई है। उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व दोषी या सजायाफ्ता है। अन्य सह अभियुक्तगण के बयानों के अनुरूप थाना पिनाहट जिला आगरा के मुकदमें में आरोपी बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित नहीं है। वह दिनांक 20.01.2026 से केन्द्रीय कारागार इटावा में निरूद्ध है। उसका प्रतिभू प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2026 को अवर न्यायालय द्वारा खारिज किया चुका है। उसका कोई भी प्रतिभू प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। उसका प्रथम प्रतिभू प्रार्थना पत्र है। उपरोक्त आधारो पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की

गयी है।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथनाक के अनुसार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी करने के लिए मृत्यु,उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ वादी मुकदमा की फैक्ट्री में बिजली संचालन हेतु स्थापित ट्रान्सफारमर के अन्दर के कीमती पार्ट को चोरी किया गया। उक्त चोरी किया गया सामान अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है। अभियोजन द्वारा कथित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में भी मु०अ०सं० 04/26 अन्तर्गत धारा 136,139 विद्युत अधिनियम 2003 थाना पिनाहट जनपद आगरा व मु०अ०सं०–08/26 अन्तर्गत धारा 303(2), 324(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना पिनाहट जनपद आगरा में ट्रान्सफारमर का सामान चोरी करने का अपराध किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बच्चू सिंह बाल्मीकि की ओर से मु०अ०सं०–09/2026 धारा 303(2),317(2),307,3(5) भारतीय न्याय संहिता

2023 थाना–इकदिल, जिला–इटावा के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र सं0 490/2026 निरस्त किया जाता है।

सम्बन्धित सत्र लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह ज़मानत आदेश की प्रति जिला कारागार इटावा को ज़रिए ई–मेल एवं BOMS से प्रेषित करें।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ.व.अधि.)/अपर
सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632